सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

अपील संख्याः—2021 / 31 दर्ज तिथिः—02.02.2021

1. पाबूराम पुत्र प्रभुराम माता लेहरों जाति नाई निवासी हिरकन का थान मिठडा खुर्द तहसील धोरीमना जिला बाडमेर

.....अपीलार्थी

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत लोलों की बेरी
2. पाबूराम पुत्र रूपाराम
3. दिनेश पुत्र रूपाराम
4. रमेश पुत्र रूपाराम
5. पारू पत्नी रूपाराम
6. विरधा पुत्र मगाराम
7. पोकर पुत्र प्रभुराम
8. कमला पुत्री प्रभुराम
9. सायर पुत्री प्रभुराम
10. सोनी पुत्री प्रभुराम
11. केशी पुत्री प्रभुराम
12. ताराराम पुत्र प्रभुराम जाति नाई निवासी हिरकन का थान मिठडा खुर्द तहसील धोरीमना
13. चनणाराम पुत्र हरदानराम जाति सोनी निवासी हिरकन का थान मिठडा खुर्द
14. कमला पत्नी खुमाराम जाति जाट निवासी हिरकन का थान मिठडा खुर्द तहसील धोरीमना जिला बाडमेर

.....असल प्रत्यर्थी

15. तहसीलदार धोरीमना।

.....तरतीबी प्रत्यर्थी

उपस्थित अधिवक्ता
अपीलार्थीः— श्री ओमप्रकाश विश्नोई
प्रत्यर्थीः— श्री बलवंतसिंह

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—75
राज. भू—राजस्व अधिनियम—1956

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:08:23 IST
Reason: SelfAttested

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—07.01.2025

1. आज यह पत्रावली अपील अन्तर्गत धारा—75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। अपील में सर्वप्रथम अपील के मुख्य विवाद की विषयवस्तु को जानने के लिए एवं अपीलार्थी व प्रत्यर्थी का आपसी संबंध को समझने के लिए उभयपक्षकारान का पारिवारिक सजरा/वंशावली का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। अतः अपील में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत पारिवारिक सजरा/वंशावली की सारणी निम्न प्रकार हैः—

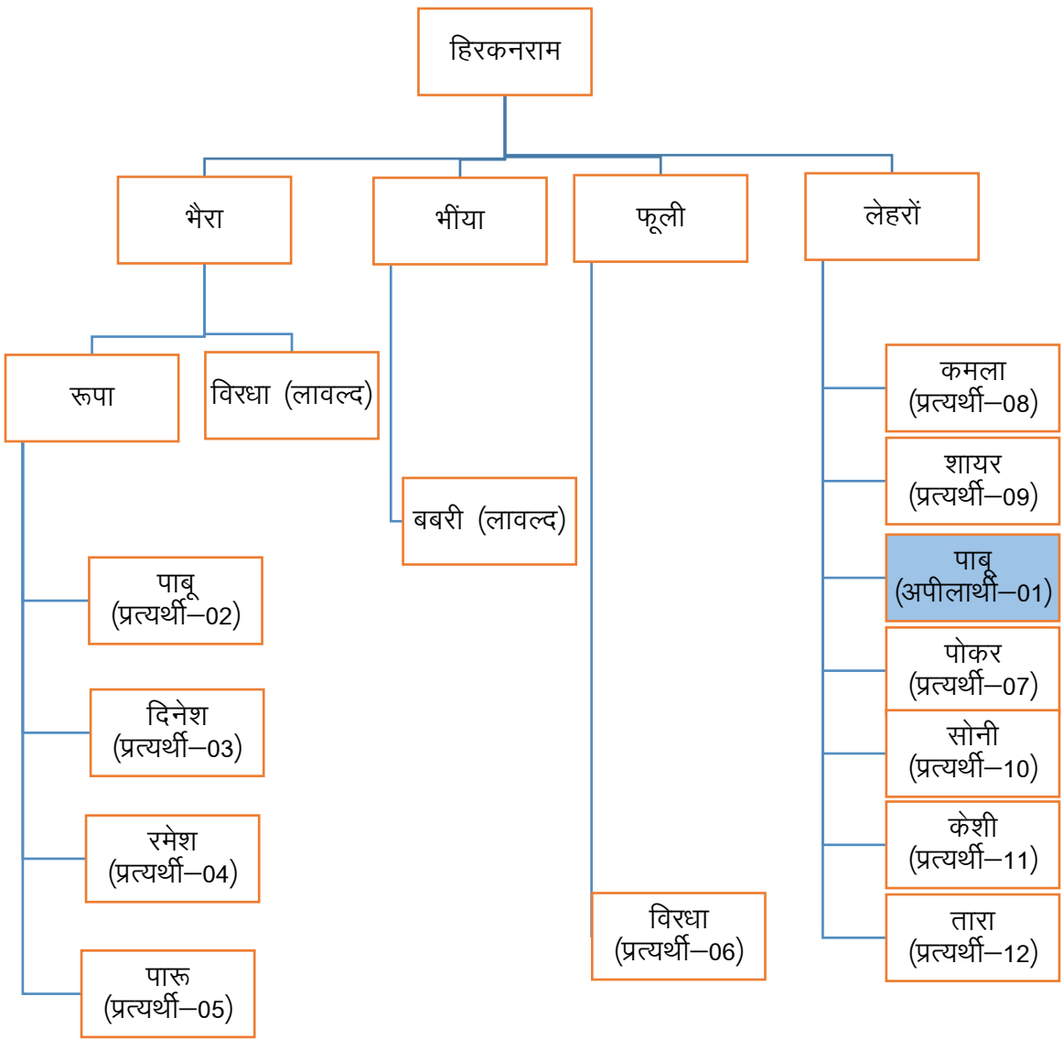

2. अब अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों में निहित विवाद की मुख्य विषयवस्तु का सूक्ष्मतः व सारतः विवरण इस प्रकार से हैः—

- कि हाल आराजी खसरा 29 रकबा 142—11 बीघा, 28 रकबा 0—10 बीघा खसरा संख्या 26 रकबा 0—04 बीघा व खसरा संख्या 27 रकबा 0—10 बीघा मौजा हिरकन का थान पटवार मंडल मिठडा खुर्द तहसील धोरीमन्ना में अवस्थित है।
- कि उक्त आराजी हिरकनराम की आराजी थी। परन्तु बंदोवस्त कार्यवाही के समय केवल भैरा वल्द हिरकनराम व भींया वल्द हिरकनराम कौम नाई के

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:08:23 IST
Reason: SelfAttested

नाम पर्चा खतौनी जारी किये जाने से केवल भैरा व भींया पिसरान हिरकनराम कौम नाई के नाम खातेदारी दर्ज हुई। भैरा वल्द हिरकन के फौत होने पर उत्तराधिकार में विरासत रूपा वल्द भैरा व विरधा वल्द भैरा का नाम राजस्व रिकॉर्ड में जरिये विरासत दर्ज हुई। विरधा वल्द भैरा लावल्द फौत होने से विरधा का उत्तराधिकार रूपा वल्द भैरा के नाम दर्ज हुआ। इसी प्रकार रूपा वल्द भैरा के फौत होने पर उत्तराधिकार में प्रत्यर्थी संख्या 02 लगायत 05 के नाम विरासत दर्ज हुई।

- कि भींया वल्द हिरकनराम की फौत होने पर उत्तराधिकार में भींया की पत्नी बबरी बेवा भींया के नाम विरासत दर्ज होकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया गया। उक्त संपत्ति में बबरी बेवा भींया का 1/2 हिस्सा निहित था। उक्त संपत्ति में बबरी बेवा भींया का 1/2 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा बबरी बेवा भींया द्वारा पाबूराम पुत्र प्रभुराम माता लेहरों को जरिये पंजीकृत बयनामा बेचान कर दिया। इस प्रकार उक्त संपत्ति में बबरी बेवा भींया का 1/2 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा शेष रहा।
- कि बबरी बेवा भींया की मृत्यु वर्ष 2012 में हुई। बबरी बेवा भींया के उक्त संपत्ति में शेष हिस्सा 1/4 पर कानूनी वारिसान प्रत्यर्थी संख्या 02 लगायत 05 का 1/3 हिस्सा, प्रत्यर्थी संख्या 06 का 1/3 हिस्सा तथा अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 07 लगायत 12 का 1/3 हिस्सा दर्ज किया जाना कानूनन उचित था। परन्तु राजस्व कार्मिकों ने केवल प्रत्यर्थी संख्या 02 लगायत 05 को ही वारिश मानते हुए प्रत्यर्थी संख्या 06 व अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 07 लगायत 12 के बारे में जानकारी छुपाते हुए नामांतकरण संख्या 341 दिनांक 05.12.2020 को फैसल कर दिया। इस प्रकार अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 06 व प्रत्यर्थी संख्या 07 लगायत 12 के कानूनी वारिश होने के उपरांत भी कानूनी हक से वंचित कर दिया।
- कि ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान भू—राजस्व (भू—अभिलेख) नियम—1957 के तहत नामांतकरण दर्ज करने की प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 06 व प्रत्यर्थी संख्या 07 लगायत 12 के कानूनी वारिश होने के उपरांत भी बिना सूचना देते हुए अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 06 व प्रत्यर्थी संख्या 07 लगायत 12 के कानूनी वारिश होने के उपरांत भी कानूनी हक से वंचित कर नामांतकरण संख्या 341 दिनांक 22.12.2020 को गलत रूप से फैसल कर दिया।
- कि नामांतकरण संख्या 341 दिनांक 22.12.2020 ग्राम पंचायत लोलों की बेरी को कानूनन हक के विपरीत होने व निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन किये जाने के कारण निरस्त करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 02 लगायत 05 का 1/3 हिस्सा, प्रत्यर्थी संख्या 06 का 1/3 हिस्सा तथा अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 07 लगायत 12 का 1/3 हिस्सा दर्ज करने का आदेश देते हुए पुनः नामांतकरण दर्ज करने का आदेश जारी कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:08:23 IST
Reason: SelfAttested

3. अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रत्यर्थी विधिवत तामील प्रत्यर्थी उपस्थित न्यायालय होकर अपील का खंडन करते हुए निम्न प्रकार निवेदन कियाः—

- कि उक्त आराजी हिरकनराम की आराजी नहीं होकर बंदोबस्त के समय से ही भींया व भैरा वल्द हिरकनराम के नाम स्वतंत्र पर्चा खतौनी जारी होकर स्वयं की खातेदारी आराजी है। जिस पर फूली व लेहरों का हिरकन की विरासत से कोई हक लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।
- कि अपीलार्थी ने बबरी बेवा भींया से संपत्ति खरीद की है और वह केवल अजनबी क्रेता के अतिरिक्त अन्य कोई अधिकार उक्त संपत्ति में नहीं रखता है।
- कि लेहरों व फूली हिरकन की वारिश नहीं है। अतः बबरी बेवा भींया की फौत के पश्चात लेहरों व फूली व उनके वारिशों का कोई हक उत्पन्न नहीं होता है। वारिश घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं होकर सिविल न्यायालय का है। इस प्रकार भी उक्त अपील काबिल—ए—खारिज है। साथ ही अपील में नये कानूनी बिंदू का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। बबरी बेवा भींया की फौत के पश्चात लेहरों व फूली व उनके वारिशों का कोई प्रश्न का निर्धारण केवल नियमित वाद में ही किया जा सकता है।
- कि अपीलार्थी ने बबरी बेवा भींया से संपत्ति खरीद की है और वह केवल अजनबी क्रेता उक्त आराजी में सहखातेदार है। ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान भू—राजस्व (भू—अभिलेख) नियम—1957 के तहत नामांतकरण दर्ज करने की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए अपीलार्थी को उक्त आराजी में सहखातेदार होने के कारण सूचना होते हुए नामांतकरण संख्या 341 दिनांक 22.12.2020 को उचित रूप से फैसला किया है।
- अतः नामांतकरण संख्या 341 दिनांक 22.12.2020 ग्राम पंचायत लोलों की बेरी को कानूनन हक के अनुसार होने व निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किये जाने के कारण अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

4. प्रकरण में वकील अपीलार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुये नामांतकरण संख्या 341 दिनांक 05.12.2020 ग्राम पंचायत लोलों की बेरी को कानूनन हक के विपरीत होने व निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन किये जाने के कारण निरस्त करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 02 लगायत 05 का 1/3 हिस्सा, प्रत्यर्थी संख्या 06 का 1/3 हिस्सा तथा अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 07 लगायत 12 का 1/3 हिस्सा दर्ज करने का आदेश देते हुए पुनः नामांतकरण दर्ज करने का आदेश जारी कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

5. साथ ही दौराने बहस विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुये। नामांतकरण संख्या 341 दिनांक 22.12.2020 ग्राम पंचायत लोलों की बेरी को कानूनन हक के अनुसार होने व निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किये जाने के कारण अपील

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:08:23 IST
Reason: SelfAttested

खारिज करने का निवेदन किया है। अपने बहस के समर्थन में विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कियेः—

- **आरआरटी 2002 (1) पेज 77**
- **आरआरटी 2007 (1) पेज 723**
- **आरआरटी 2021 (1) (एससी) पेज 19**
- **डीएनजे 2021 (2) (एससी) पेज 964**
- **आरआरटी 2021 (1) (1) पेज 471**
- **आरआरडी 2020 पेज 275**
- **डीएनजे 2024 (1) पेज 38**
- **आरआरटी 2023 (1) (1) पेज 375**

6. मैनें अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रकरण में संवत् 2012 की जमाबंदी मौजा हिरकन का थान पटवार हल्का मिठडा खुर्द तहसील धोरीमन्ना के प्रासांगिक राजस्व इन्द्राज का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः—

खातेदार	खसरा
भैरा भींया पिसराम हरकिन कौम नाई साकिन देह खातेदार	29
	26
	27
	28
	3
	4

7. प्रकरण में मौजा हिरकन का थान पटवार हल्का मिठडा खुर्द तहसील धोरीमन्ना संवत् 2012 की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वक्त बंदोबस्त उक्त आराजी भींया व भैरा वल्द हिरकनराम कौम नाई की स्वतंत्र व स्वअर्जित आराजी रही है। उक्त आराजी हिरकन की विरासत से प्राप्त नहीं होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की प्रभाव में आने से भींया व भैरा को प्राप्त हुई है। इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—40 के अनुसार खातेदार के खातेदारी अधिकार न्यागत होने के प्रावधान हैं। इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—40 का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका उद्धरण निम्न प्रकार हैः—

> *40. Succession to tenants— When a tenant dies intestate, his interest in his holding shall devolve in accordance with the personal law to which he was subject at the time of his death.*

8. उक्त विधिक प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—40 के अनुसार खातेदार के खातेदारी अधिकार खातेदार की मृत्यु के समय खातेदार के व्यैक्तिक कानून के अनुसार न्यागत होने के प्रावधान हैं। यह निर्विवाद है कि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी दोनों हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 से

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:08:23 IST
Reason: SelfAttested

शासित होते हैं। अतः उक्त आराजी पर हिरकन के अन्य वारिशों का हिरकन की विरासत पर अधिकार होने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। अब प्रकरण में बबरी बेवा भींया की फौत होने पर विरासत को लेकर उत्पन्न विवाद पर विचार करना अपेक्षित है।

9. प्रकरण में बबरी बेवा भींया की फौत होने पर विरासत को लेकर उत्पन्न विवाद के संबंध में अपीलार्थी द्वारा हिरकनराम की वंशावली प्रस्तुत की गई है। जिसमें लेहरों व फूली को हिरकन के भींया व भैरा के साथ वारिश बताया गया है। साथ ही प्रत्यर्थी द्वारा फूली व लेहरों के हिरकन के विधिक वारिश होने पर खंडन किया है। परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा फूली व लेहरों के हिरकन के विधिक वारिश नहीं होकर किसी अन्य परिवार से संबंधित होने के संबंध में कोई दस्तावेज/अभिकथन प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वंशावली को स्पष्ट रूप से नहीं नकारते हुए खंडन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये हैं। हालांकि इस संबंध में नियमित वाद पर ही वारिशों के बारे में साक्ष्य सबूत लेकर निर्णय किया जा सकता है। परन्तु हस्तगत अपील में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वंशावली के बारे में प्रत्यर्थी द्वारा कोई स्पष्ट खंडन प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा नामांतकरण संख्या 341 दिनांक 22.12.2020 पर फैसला करते समय वारिशों के बारे में की गई जांच भी रिकॉर्ड पर नहीं है। साथ ही राजस्व कार्मिकों द्वारा नामांतकरण संख्या 341 दर्ज करते समय वारिशों के बारे में की गई जांच भी रिकॉर्ड पर नहीं है। अतः अपील में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वंशावली के आधार पर अपील में आगे विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।

10. प्रकरण में बबरी बेवा भींया की फौत के पश्चात ग्राम पंचायत लोलों की बेरी द्वारा नामांतकरण संख्या 341 दिनांक 22.12.2020 को स्वीकार करने पर प्रत्यर्थी संख्या 02 लगायत 05 का 1/3 हिस्सा, प्रत्यर्थी संख्या 06 का 1/3 हिस्सा तथा अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 07 लगायत 12 का 1/3 हिस्सा दर्ज नहीं करने का विवाद उत्पन्न हुआ है। अतः प्रकरण में कानूनी हक का बिन्दु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—14, 15 व 16 की व्याख्या में निहित है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 6659/2011 उनवान *Arunachala Gounder (Dead) By Lrs vs Ponnusamy* में दिनांक 20.01.2022 को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—14, 15 व 16 की विस्तृत विवेचना कर न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है। जिसका प्रासांगिक उद्धरण निम्न प्रकार हैः—

> *68. Insofar as, question no. 3 is concerned under the old customary Hindu Law, there are contradictory opinions in respect of the order of succession to be followed after the death of such a daughter inheriting the property from his father. One school is of the view that such a daughter inherits a limited estate like a widow, and after her death would revert back to the heirs of the deceased male who would be entitled to inherit by survivorship. While other school of thought holds the opposite view. This conflict of opinion may not be relevant in the present case inasmuch as since Kupayee Ammal, daughter of Marappa Gounder, after inheriting the suit property upon the death of Marappa Gounder, died after enforcement of Hindu*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:08:23 IST
Reason: SelfAttested

Succession Act, 1956 (hereinafter referred to as 'The Act of 1956'), which has amended and codified the Hindu Law relating to intestate succession among Hindus. The main scheme of this Act is to establish complete equality between male and female with regard to property rights and the rights of the female were declared absolute, completely abolishing all notions of a limited estate. The Act brought about changes in the law of succession among Hindus and gave rights which were till then unknown in relation to women's property. The Act lays down a uniform and comprehensive system of inheritance and applies, inter-alia, to persons governed by the Mitakshara and Dayabhaga Schools and also to those governed previously by the Murumakkattayam, Aliyasantana and Nambudri Laws. The Act applies to every person, who is a Hindu by religion in any of its forms including a Virashaiva, a Lingayat or a follower of the Brahmo Pararthana or Arya Samaj and even to any person who is Buddhist, Jain or Sikh by religion excepting one who is Muslim, Christian, Parsi or Jew or Sikh by religion. Section 14 of the Act of 1956 declares property of a female Hindu to be her absolute property, which reads as under:-

> ***"14. Property of a female Hindu to be her absolute property.-*** *(1) Any property possessed by a female Hindu, whether acquired before or after the commencement of this Act, shall be held by her as full owner thereof and not as a limited owner.*
>
> *Explanation.—In this sub-section, "property" includes both movable and immovable property acquired by a female Hindu by inheritance or devise, or at a partition, or in lieu of maintenance or arrears of maintenance, or by gift from any person, whether a relative or not, before, at or after her marriage, or by her own skill or exertion, or by purchase or by prescription, or in any other manner whatsoever, and also any such property held by her as stridhana immediately before the commencement of this Act.*
>
> *(2) Nothing contained in sub-section (1) shall apply to any property acquired by way of gift or under a will or any other instrument or under a decree or order of a civil court or under an award where the terms of the gift, will or other instrument or the decree, order or award prescribe a restricted estate in such property."*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:08:23 IST
Reason: SelfAttested

69. The legislative intent of enacting Section 14(I) of the Act was to remedy the limitation of a Hindu woman who could not claim absolute interest in the properties inherited by her but only had a life interest in the estate so inherited.

70. Section 14 (I) converted all limited estates owned by women into absolute estates and the succession of these properties in the absence of a will or testament would take place in consonance with Section 15 of the Hindu Succession Act, 1956, which reads as follows:-

> ***"Section -15. General rules of succession in the case of female Hindus.—*** *(1) The property of a female Hindu dying intestate shall devolve according to the rules set out in section 16,—*
> *(a) firstly, upon the sons and daughters (including the children of any pre-deceased son or daughter) and the husband;*
> *(b) secondly, upon the heirs of the husband;*
> *(c) thirdly, upon the mother and father;*
> *(d) fourthly, upon the heirs of the father; and*
> *(e) lastly, upon the heirs of the mother.*
>
> *(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1)-*
> *(a) any property inherited by a female Hindu from her father or mother shall devolve, in the absence of any son or daughter of the deceased (including the children of any pre-deceased son or daughter) not upon the other heirs referred to in sub-section (1) in the order specified therein, but upon the heirs of the father; and*
> *(b) any property inherited by a female Hindu from her husband or from her father-in-law shall devolve, in the absence of any son or daughter of the deceased (including the children of any pre-deceased son or daughter) not upon the other heirs referred to in sub-section (1) in the order specified therein, but upon the heirs of the husband."*
>
> ***Section 16 – Order of Succession and manner of distribution among heirs of a female Hindu.*** *– The order of succession among the heirs referred to in Section 15 shall be, and the distribution of the intestate's property among those heirs shall take place, according to the following rules, namely:—*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:08:23 IST
Reason: SelfAttested

Rule 1.—Among the heirs specified in sub-section (1) of Section 15, those in one entry shall be preferred to those in any succeeding entry and those included in the same entry shall take simultaneously.

Rule 2.—If any son or daughter of the intestate had pre- deceased the intestate leaving his or her own children alive at the time of the intestate's death, the children of such son or daughter shall take between them the share which such son or daughter would have taken if living at the intestate's death.

Rule 3.—The devolution of the property of the intestate on the heirs referred to in clauses (b), (d) and (e) of sub- section (1) and in sub-section (2) to Section 15 shall be in the same order and according to the same rules as would have applied if the property had been the father's or the mother's or the husband's as the case may be, and such person had died intestate in respect thereof immediately after the intestate's death."

71. The scheme of sub-Section (1) of Section 15 goes to show that property of Hindu females dying intestate is to devolve on her own heirs, the list whereof is enumerated in Clauses (a) to (e) of Section 15 (1). Sub- Section (2) of Section 15 carves out exceptions only with regard to property acquired through inheritance and further, the exception is confined to the property inherited by a Hindu female either from her father or mother, or from her husband, or from her father-in-law. The exceptions carved out by sub-Section (2) shall operate only in the event of the Hindu female dies without leaving any direct heirs, i.e., her son or daughter or children of the pre-deceased son or daughter.

72. Thus, if a female Hindu dies intestate without leaving any issue, then the property inherited by her from her father or mother would go to the heirs of her father whereas the property inherited from her husband or father-in-law would go to the heirs of the husband. In case, a female Hindu dies leaving behind her husband or any issue, then Section 15(1)(a) comes into operation and the properties left behind including the properties which she inherited from her parents would devolve simultaneously upon her husband and her issues as provided in Section 15(1)(a) of the Act.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:08:23 IST
Reason: SelfAttested

73. The basic aim of the legislature in enacting Section 15(2) is to ensure that inherited property of a female Hindu dying issueless and intestate, goes back to the source.

74. Section 15(1)(d) provides that failing all heirs of the female specified in Entries (a)-(c), but not until then, all her property howsoever acquired will devolve upon the heirs of the father. The devolution upon the heirs of the father shall be in the same order and according to the same rules as would have applied if the property had belonged to the father and he had died intestate in respect thereof immediately after her death. In the present case the since the succession of the suit properties opened in 1967 upon death of Kupayee Ammal, the 1956 Act shall apply and thereby Ramasamy Gounder's daughters being Class-I heirs of their father too shall be heirs and entitled to 1/5th share each in the suit properties.

75. This Court while analysing the provisions of Sections 15 & 16 of the Act in the case of State of Punjab Vs. Balwant Singh & Ors. 15, has held as under:-

> *"7. Sub-section (1) of Section 15 groups the heirs of a female intestate into five categories and they are specified under clauses (a) to (e). As per Sections 16 Rule 1 those in one clause shall be preferred to those in the succeeding clauses and those included in the same clause shall take simultaneously. Sub- section (2) of Section 15 begins with a non-obstante clause providing that the order of succession is not that prescribed under sub-section (1) of Section 15. It carves out two exceptions to the general order of succes- sion provided under sub-section (1). The first exception relates to the property inherited by a female Hindu from her father or mother. That property shall devolve, in the absence of any son or daughter of the deceased (including the children of the pre-deceased son or daughter), not upon the other heirs referred to in sub-section (1) in the order specified therein, but upon the heirs of the father. The second exception is in relation to the property inherited by a female Hindu from her husband or from her father-in-law. That property shall devolve, in the absence of any son or daughter of the deceased (including the children of the pre-deceased son or daughter) not upon the other heirs referred to under sub-section (1) in the order specified thereunder but upon the heirs of the husband.*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:08:23 IST
Reason: SelfAttested

8. The process of identifying the heirs of the intestate under sub-section (2) of Section 15 has been explained in Bhajya v. Gopikabai and Anr. [1978] 3 SCR 561 There this Court observed that the rule under which the property of the intestate would devolve is regulated by Rule 3 of Section 16 of the Act. Rule 3 of Section 16 provides that "the devolution of the property of the intestate on the heirs referred to in clauses (b), (d) and (e) of sub-section (1) and in sub-section (2) of Section 15 shall be in the same order and according to the same rules as would have applied if the property had been the father's or the mother's or the husband's as the case may be, and such person had died intestate in respect thereof immediately after the intestate's death".

76. Again in the case of Bhagat Ram (dead) by LRs. Vs. Teja Singh (dead) by LRs.16, a two-Judge Bench of this Court analysing the provisions of Sections 14, 15 and 16 of the Act reiterating the view taken in the State of Punjab Vs. Balwant Singh & Ors.(Supra), observed as under :-

"The source from which she inherits the property is always important and that would govern the situation. Otherwise persons who are not even remotely related to the person who originally held the property would acquire rights to inherit that property. That would defeat the intent and purpose of sub-Section 2 of Section 15, which gives a special pattern of succession. "

11. उक्त न्यायिक दृष्टांत के परिपेक्ष्य में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—14 का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका प्रासांगिक उद्धरण निम्न प्रकार हैः—

"14. Property of a female Hindu to be her absolute property.- *(1) Any property possessed by a female Hindu, whether acquired before or after the commencement of this Act, shall be held by her as full owner thereof and not as a limited owner.*

Explanation.—In this sub-section, "property" includes both movable and immovable property acquired by a female Hindu by inheritance or devise, or at a partition, or in lieu of maintenance or arrears of maintenance, or by gift from any person, whether a relative or not, before, at or after her marriage, or by her own skill or exertion, or by purchase or by prescription, or in any other manner whatsoever, and also any such property held by her as

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:08:23 IST
Reason: SelfAttested

stridhana immediately before the commencement of this Act.

(2) Nothing contained in sub-section (1) shall apply to any property acquired by way of gift or under a will or any other instrument or under a decree or order of a civil court or under an award where the terms of the gift, will or other instrument or the decree, order or award prescribe a restricted estate in such property."

12. उक्त प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—14 के तहत हिन्दू महिला उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति की पूर्ण मालिक हो जाती है। प्रकरण में भीया वल्द हिरकन की मृत्यु होने पर बबरी बेबा भींया वर्ग—1 की एकमात्र वारिश होने के आधार पर भींया के उक्त संपत्ति में 1/2 हिस्से की पूर्ण मालिक के रूप में काबिज काश्त हुई। तत्पश्चात वर्ष 2012 में बबरी बेबा भींया की मृत्यु हो गई। यहां उल्लेखनीय है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—14 के तहत हिन्दू महिला उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति की पूर्ण मालिक हिन्दू महिला की मृत्यु होने पर उत्तराधिकार के संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—15 में प्रावधान बनाये गये हैं। जिनका अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका प्रासांगिक उद्धरण निम्न प्रकार हैः—

***"Section -15. General rules of succession in the case of female Hindus**.— (1) The property of a female Hindu dying intestate shall devolve according to the rules set out in section 16,—*
(a) firstly, upon the sons and daughters (including the children of any pre-deceased son or daughter) and the husband;
(b) secondly, upon the heirs of the husband;
(c) thirdly, upon the mother and father;
(d) fourthly, upon the heirs of the father; and
(e) lastly, upon the heirs of the mother.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1)-
(a) any property inherited by a female Hindu from her father or mother shall devolve, in the absence of any son or daughter of the deceased (including the children of any pre-deceased son or daughter) not upon the other heirs referred to in sub-section (1) in the order specified therein, but upon the heirs of the father; and
*(b) any property inherited by a female Hindu from her husband or from her father-in-law shall devolve, in the absence of any son or daughter of the deceased (including the children of any pre-deceased son or daughter) not upon the other heirs referred to in sub-section (1) in the order specified therein, **but upon the heirs of the husband."***

13. उक्त प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—14 के तहत हिन्दू महिला उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति की पूर्ण मालिक हिन्दू

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:08:23 IST
Reason: SelfAttested

महिला की मृत्यु होने पर हिन्दू महिला की स्वअर्जित संपत्ति के मामले में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—15 (1) लागू होती है। जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—14 के तहत हिन्दू महिला उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति की पूर्ण मालिक हिन्दू महिला की मृत्यु होने पर हिन्दू महिला को विरासत से प्राप्त संपत्ति के मामले में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—15 (2) लागू होती है।

14. प्रकरण में भीया वल्द हिरकन की मृत्यु होने पर बबरी बेबा भींया वर्ग—1 की एकमात्र वारिश होने के आधार पर भींया के उक्त संपत्ति में 1/2 हिस्से की पूर्ण मालिक के रूप में काबिज काश्त हुई। इस प्रकार प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—14 के तहत हिन्दू महिला उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति की पूर्ण मालिक हिन्दू महिला की मृत्यु होने पर हिन्दू महिला को पति से विरासत से प्राप्त संपत्ति के मामले में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—15 (2)(बी) लागू होती है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—15 (2)(बी) के अनुसार वह संपत्ति पति के वारिशों को उत्तराधिकार में प्राप्त होने के प्रावधान बनाये गये हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—15 (2)(बी) के अनुसार वह संपत्ति **पति के वारिशों को उत्तराधिकार में प्राप्त होने** के प्रावधान के लागू करने हेतु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—16 में प्रक्रिया प्रावधित की हुई है। जिनका अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका प्रासांगिक उद्धरण निम्न प्रकार हैः—

> ***Section 16 – Order of Succession and manner of distribution among heirs of a female Hindu.*** *– The order of succession among the heirs referred to in Section 15 shall be, and the distribution of the intestate's property among those heirs shall take place, according to the following rules, namely:—*
>
> *Rule 1.—Among the heirs specified in sub-section (1) of Section 15, those in one entry shall be preferred to those in any succeeding entry and those included in the same entry shall take simultaneously.*
>
> *Rule 2.—If any son or daughter of the intestate had pre-deceased the intestate leaving his or her own children alive at the time of the intestate's death, the children of such son or daughter shall take between them the share which such son or daughter would have taken if living at the intestate's death.*
>
> *Rule 3.—The devolution of the property of the intestate on the heirs referred to in clauses (b), (d) and (e) of sub-section (1)* ***and in sub-section (2) to Section 15 shall be in the same order and according to the same rules as would have applied if the property had been the father's or the mother's or the husband's as the case may be, and such person had died intestate in respect thereof immediately after the intestate's death."***

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:08:23 IST
Reason: SelfAttested

15. उक्त प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि **हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—16 में प्रावधित प्रक्रिया के नियम—3 के अनुसार पति की विरासत को इस प्रकार से माना जाये जैसे कि संपत्ति पति की हो एवं पति की निर्वसयति हिन्दू पुरूष के समान मृत्यु हो जाये।** ऐसी स्थिति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—8 लागू होती है। जिसका अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका उद्धरण निम्न प्रकार हैः—

> ***8. General rules of succession in the case of males.—The property of a male Hindu dying intestate shall devolve according to the provisions of this Chapter:—***
> *(a) firstly, upon the heirs, being the relatives specified in class I of the Schedule;*
> *(b) secondly, if there is no heir of class I, then upon the heirs, being the relatives specified in class II of the Schedule;*
> *(c) thirdly, if there is no heir of any of the two classes, then upon the agnates of the deceased; and*
> *(d) lastly, if there is no agnate, then upon the cognates of the deceased.*

16. उक्त प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—8 के अनुसार सर्वप्रथम अनुसूची में दिये गये वर्ग—1 के वारिशों को संपत्ति मिलने के प्रावधान है। प्रकरण में बवरी बेवा भींया के वर्ग—1 के वारिश नहीं होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—8 (बी) लागू होती है। किसी निर्वसयती मृतक हिन्दू के वर्ग—1 के वारिश नहीं होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—8 (बी) लागू होने पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—9 के अनुसार सर्वप्रथम अनुसूची में दिये गये वर्ग—1 व वर्ग—2 के वारिशों के मध्य संपत्ति में हक—हिस्से के संबंध में प्रावधान है। जिसका अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका उद्धरण निम्न प्रकार हैः—

> ***9. Order of succession among heirs in the Schedule.—****Among the heirs specified in the Schedule, those in class I shall take simultaneously and to the exclusion of all other heirs; <u>those in the first entry in class II shall be preferred to those in the second entry; those in the second entry shall be preferred to those in the third entry; and so on in succession.</u>*

17. इसी संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—9 के अनुसार सर्वप्रथम अनुसूची में दिये गये वर्ग—1 व वर्ग—2 के वारिशों के मध्य संपत्ति में हक—हिस्से के संबंध में प्रावधान है। उक्त अनुसूची का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका उद्धरण निम्न प्रकार हैः—

> ***THE SCHEDULE***
> ***(See section 8)***
> ***HEIRS IN CLASS I AND CLASS II***
>
> ***Class I***
> *Son; daughter; widow; mother; son of a pre-deceased son; daughter of a pre-deceased son; son of a pre-deceased*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:08:23 IST
Reason: SelfAttested

daughter; daughter of a pre-deceased daughter; widow of a pre-deceased son; son of a pre-deceased son of a pre-deceased son; daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased son; widow of a pre-deceased son of a pre-deceased son son of a predeceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased son of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a pre-deceased son.

Class II

I. Father.
II. (1) Son's daughter's son, (2) son's daughter's daughter, (3) brother, (4) sister.
III. (1) Daughter's son's son, (2) daughter's son's daughter, (3) daughter's daughter's son, (4) daughter's daughter's daughter.
IV. (1) Brother's son, (2) sister's son, (3) brother's daughter, (4) sister's daughter.
V. Father's father; father's mother.
VI. Father's widow; brother's widow.
VII. Father's brother; father's sister.
VIII. Mother's father; mother's mother.
IX. Mother's brother; mother's sister.

Explanation.—In this Schedule, references to a brother or sister do not include references to a brother or sister by uterine blood..

18. उक्त प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—9 के अनुसार सर्वप्रथम अनुसूची में दिये गये वर्ग—1 व वर्ग—2 के वारिशों के मध्य संपत्ति में हक—हिस्से के संबंध में प्रावधान है। प्रकरण में बबरी बेवा भींया की संपत्ति पति भींया वल्द हिरकन के वारिशों के मध्य उत्तराधिकार में न्यागत होनी अपेक्षित है। इस संबंध में हिरकन के वारिशों की वंशावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि भींया वल्द हिरकन के प्रथम श्रेणी के वारिश नहीं है। अतः अब वर्ग—2 के वारिशों के मध्य विचार किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—11 में वर्ग—2 के वारिशों के मध्य संपत्ति में हक के संबंध में प्रावधान बनाये गये है। जिसका अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका उद्धरण निम्न प्रकार हैः—

11. Distribution of property among heirs in class II of the Schedule.—*The property of an intestate shall be divided between the heirs specified in any one entry in class II of the Schedule so that they, share equally.*

19. उक्त प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 की धारा—9 के अनुसार अनुसूची में दिये गये वर्ग—2 के वारिशों के मध्य संपत्ति में हक—हिस्से के संबंध में अनुसूची में दिये गये वर्ग—2 के वारिशों में पहली एंट्री को दूसरी एंट्री पर वरीयता दिये जाने के प्रावधान है। इसी प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:08:23 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम—1956 की धारा—11 के अनुसार अनुसूची में दिये गये वर्ग—2 के वारिशों के मध्य संपत्ति में हक—हिस्से के संबंध में अनुसूची में दिये गये वर्ग—2 के वारिशों में एक एंट्री के समस्त वारिशों को समान हक दिये जाने के प्रावधान है।

20. प्रकरण में भींया वल्द हिरकन कौम नाई के प्रथम श्रेणी/वर्ग—1 का कोई वारिश नहीं है। प्रकरण में भींया वल्द हिरकन कौम नाई के वर्ग—2 में पहली एंट्री में पिता हिरकन जीवित नहीं है। प्रकरण में भींया वल्द हिरकन कौम नाई के वर्ग—2 में द्वितीय एंट्री में (1) पुत्र की पुत्री के पुत्र तथा (2) पुत्र की पुत्री की पुत्री (3) भाई (4) बहन को एकसाथ समान हिस्सा दिये जाने के प्रावधान हैं। प्रकरण में भींया वल्द हिरकन के (1) पुत्र की पुत्री के पुत्र तथा (2) पुत्र की पुत्री की पुत्री वारिश नहीं हैं, परन्तु (3) भाई के रूप में भैरा वल्द हिरकन के वारिशान तथा (4) बहन के रूप में फुली वल्द हिरकन व लेहरों वल्द हिरकन के वारिशान मौजूद हैं। इस आधार पर बबरी बेवा भींया की शेष संपत्ति में प्रत्यर्थी संख्या 02 लगायत 05 का 1/3 हिस्सा, प्रत्यर्थी संख्या 06 का 1/3 हिस्सा तथा अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 07 लगायत 12 का 1/3 हिस्सा होना कानूनन उचित है। इस प्रकार राजस्व कार्मिकों को नामांतकरण संख्या 341 दिनांक 22.12.2020 दर्ज करते व ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामांतकरण फैसल करते समय उक्त विधिक प्रावधानों के तहत ही बबरी बेवा भींया का नामांतकरण दर्ज करना चाहिए था। परन्तु राजस्व कार्मिकों नामांतकरण संख्या 341 दिनांक 22.12.2020 दर्ज करते व ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामांतकरण फैसल करते समय उक्त विधिक प्रावधानों के विपरीत बबरी बेवा भींया का नामांतकरण दर्ज केवल प्रत्यर्थी संख्या 02 लगायत 05 के हक में फैसल करना कानूनन अनुचित प्रतीत होता है। इस प्रकार ग्राम पंचायत व राजस्व कार्मिकों नामांतकरण संख्या 341 दिनांक 22.12.2020 विधिक प्रावधानों के विपरीत दर्ज व फैसल किया गया है।

21. इस संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। जिनका विश्लेषण इस प्रकार है कि *आरआरटी 2002 (1) पेज 77* में खातेदार की मृत्यु होने पर विरासत को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। उक्त विवाद में एक पक्ष मृत्तक खातेदार के वारिस होने के संबंध में दावा कर रहा था। साथ ही द्वितीय पक्ष भी मृत्तक खातेदार के वारिस होने के संबंध में दावा कर रहा था। उक्त प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया गया कि मृत्तक खातेदार की विरासत के संबंध में विपरीत दावा रखने के कारण विवाद उत्पन्न होने पर प्रकरण को सिविल न्यायालय को प्रेषित करना चाहिए था। हस्तगत प्रकरण में मृत्तक खातेदार बबरी बेवा भींया की मृत्यु होने पर नामांतरकरण के समय विरासत को लेकर कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। हस्तगत प्रकरण में बबरी बेवा भींया की विरासत मुताबिक हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के अनुसार संपूर्ण विधिक वारिशान के नाम दर्ज नहीं की जाकर केवल कुछ वारिशों के नाम दर्ज की गई। इस प्रकार बबरी बेवा भींया की विरासत को लेकर अलग—अलग दावे नामांतकरण संख्या 341 दिनांक 22.12.2020 के समय प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण सटीक चस्पा नहीं होता है।

22. प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत *आरआरटी 2007 (1) पेज 723* वारिश के प्रश्न को लेकर सिविल न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर न्यायिक

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:08:23 IST
Reason: SelfAttested

दृष्टांत प्रतिपादित किया गया है। उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एक खातेदार की विरासत के संबंध में गोदपुत्र एवं प्राकृतिक वारिशों के मध्य विरासत को लेकर विवाद की विषयवस्तु का प्रकरण निहित था। उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई कि उत्तराधिकार का प्रश्न सिविल न्यायालय द्वारा निर्णित किया जाना कानून संगत है जबकि नामांतकरण के इन्द्राज को अवैध घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय में निहित है। इस प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टांत के तथ्य हस्तगत प्रकरण से जुदा होने के कारण उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर सटीक चस्पा नहीं होता है।

23. प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत *आरआरटी 2021 (1) (एससी) पेज 19* में अजनबी व्यक्ति द्वारा अपील प्रस्तुत करने का कानूनी अधिकार नहीं होने पर न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी अजनबी नहीं होकर बबरी बेवा भींया का विधिक वारिश है। इस प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टांत के तथ्य हस्तगत प्रकरण से जुदा होने के कारण उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर सटीक चस्पा नहीं होता है।

24. प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत *डीएनजे 2021 (2) (एससी) पेज 964 में* माननीय सर्वोच्च न्यायालय *तथा डीएनजे 2024 (1) पेज 38* में माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर नामांतकरण प्रक्रिया को केवल वित्तीय प्रक्रिया घोषित करते हुए किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार सृजित नहीं करने वाली प्रक्रिया घोषित करते हुए न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किये है। हस्तगत प्रकरण में इन्हीं न्यायिक दृष्टांतों द्वारा प्रतिपादित कानूनी प्रावधानों के तहत अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टांत से प्रत्यर्थी को कोई सहायता नहीं मिलने के कारण उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर सटीक चस्पा नहीं होता है।

25. प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत *आरआरटी 2021 (1) (1) पेज 471* में माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में मृतक खातेदार की विरासत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के तहत वर्ग—1 के वारिश होने के बावजूद भी वर्ग—2 के वारिशों के नाम दर्ज कर दिया। उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित किया गया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के तहत वर्ग—1 के वारिश होते हुए वर्ग—2 के वारिशों के नाम नामांतकरण दर्ज नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में मृतक खातेदार की विरासत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के तहत वर्ग—1 के वारिश होने के पश्चात ही वर्ग—2 के वारिशों के नाम विरासत दर्ज की गई है। इस प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टांत से प्रत्यर्थी को कोई सहायता नहीं मिलने के कारण उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर सटीक चस्पा नहीं होता है।

26. प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत *आरआरडी 2020 पेज 275* में माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के समक्ष वसीयत के आधार पर नामांतकरण दर्ज करने से संबंधित विषयवस्तु का प्रकरण निहित था। इस प्रकार उक्त न्यायिक

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:08:23 IST
Reason: SelfAttested

दृष्टांत के तथ्य हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने के कारण उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर सटीक चस्पा नहीं होता है।

27. प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत *आरआरटी 2023 (1) (1) पेज 375* में माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया गया है कि दस्तावेज यदि साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं किया गया है तो वह दस्तावेज पढा नहीं जा सकता। इस प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टांत के तथ्य हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने के कारण उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर सटीक चस्पा नहीं होता है।

28. इसके साथ ही नामान्तकरण दर्ज करने के संबंध में राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम–1957 के नियम–121 के उपनियम–04 तथा 05 के अनुसार विहित प्रक्रिया व प्रावधानों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

121. **General instructions.-**

(iv) The Revenue Officer (The Tehsildar, the Naib-Tehsildar or an Assistant Collector) or the village Panchayats to which the powers under Section 135 of the Rajasthan and Revenue Act, 1956 have been delegated, as the case may be should carefully compare the entries in the counterfoil, and foil and must write his order on the latter. He should see that entries in the mutation sheet at his orders thereon are neatly and legibly written. The order should show the parties interested, whether all were present or any one was absent, the way in which his evidence was obtained or it was not obtained, what opportunity was given to him to present, who identified the parties present and the place at which and the date on which it was written. In mutations of alienation of land the caste and sub-caste of the party should be named in the order. No detailed record of the statements of parties and witnesses need be made but the order must state briefly the persons examined by the Revenue Officer, the facts which they deposed and the grounds of the order. Except where the mutation order relates to an entire holding and in case of undisputed inheritance. the Revenue Officer must enter in his own hand the number of the fields affected and their total area.

(v) The Revenue Officer must write with his own hand in the counter foil a brief abstract of the operative part of the order giving the number of the fields affected and their total area thus "Dakhil Kharij Numberan Fallan Raqba Fallan Manzor Hai" No recital of the facts on which the order is based should be entered in the counterfoil.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:08:23 IST
Reason: SelfAttested

29. इस प्रकार राजस्थान भू—राजस्व (भू—अभिलेख) नियम—1957 के नियम—121 के उपनियम—04 तथा 05 के अनुसार नामान्तकरण निर्णित करते समय पीठासीन अधिकारी को निम्न प्रकिया का अनुसरण करने के प्रावधान बनाये गये हैंः—

प्रकिया	प्रावधान
1	*The Revenue Officer or the village Panchayats should carefully compare the entries in the counterfoil, and foil and must write his order on the latter.*
2	*The order should show the parties interested, whether all were present or any one was absent,*
3	*the way in which his evidence was obtained or it was not obtained,*
4	*what opportunity was given to him to present,*
5	*who identified the parties present and the place at which and the date on which it was written.*
6	*but the order must state briefly the persons examined by the Revenue Officer,*
7	*the facts which they deposed and the grounds of the order.*
8	*The Revenue Officer must write with his own hand in the counter foil a brief abstract of the operative part of the order.*

30. प्रकरण में राजस्थान भू—राजस्व (भू—अभिलेख) नियम—1957 के नियम—121 के उपनियम—04 तथा 05 के अनुसार ग्राम पंचायत व राजस्व कार्मिकों नामांतकरण संख्या 341 दिनांक 22.12.2020 मौजा हिरकन का थान ग्राम पंचायत लोलों की बेरी तहसील धोरीमन्ना द्वारा निर्णित करते समय पीठासीन अधिकारी को निर्धारित प्रकिया का अनुसरण करने के उक्त प्रावधानों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। उक्त विश्लेषण निम्न प्रकार हैः—

प्रकिया	विश्लेषण
The Revenue Officer or the village Panchayats should carefully compare the entries in the counterfoil, and foil and must write his order on the latter.	नामांतकरण संख्या 341 दिनांक 22.12.2020 मौजा हिरकन का थान ग्राम पंचायत लोलों की बेरी तहसील धोरीमन्ना के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस प्रकिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना की गई है
The order should show the parties interested, whether all were present or any one was absent,	नामांतकरण संख्या 341 दिनांक 22.12.2020 मौजा हिरकन का थान ग्राम पंचायत लोलों की बेरी तहसील धोरीमन्ना के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तकरण पर जारी आदेश में हितधारक पक्षकारों के विवरण तथा उनकी उपस्थिति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। *इस प्रकार इस प्रकिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई है।*
the way in which his evidence was obtained or it was not obtained,	नामांतकरण संख्या 341 दिनांक 22.12.2020 मौजा हिरकन का थान ग्राम पंचायत लोलों की बेरी तहसील धोरीमन्ना के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तकरण पर जारी आदेश में हितधारक पक्षकारों से प्राप्त साक्ष्य के बारे में कोई उल्लेख नहीं

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:08:23 IST
Reason: SelfAttested

	है। *इस प्रकार इस प्रक्रिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई है।*
what opportunity was given to him to present,	नामांतकरण संख्या 341 दिनांक 22.12.2020 मौजा हिरकन का थान ग्राम पंचायत लोलों की बेरी तहसील धोरीमन्ना के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तकरण पर जारी आदेश में हितधारक पक्षकारों को प्रदान किये गये सुनवाई/उपस्थिति के अवसरों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। *इस प्रकार इस प्रक्रिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई है।*
who identified the parties present and the place at which and the date on which it was written.	नामांतकरण संख्या 341 दिनांक 22.12.2020 मौजा हिरकन का थान ग्राम पंचायत लोलों की बेरी तहसील धोरीमन्ना के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तकरण पर जारी आदेश में हितधारक पक्षकारों की उपस्थिति की परिस्थिति में पक्षकारों की पहचान के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। *इस प्रकार इस प्रक्रिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई है।*
but the order must state briefly the persons examined by the Revenue Officer,	नामांतकरण संख्या 341 दिनांक 22.12.2020 मौजा हिरकन का थान ग्राम पंचायत लोलों की बेरी तहसील धोरीमन्ना के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तकरण पर जारी आदेश में हितधारक पक्षकारों/व्यक्तियों से फैसलकर्ता अधिकारी द्वारा की गई जांच/जिरह के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। *इस प्रकार इस प्रक्रिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई है।*
the facts which they deposed and the grounds of the order.	नामांतकरण संख्या 341 दिनांक 22.12.2020 मौजा हिरकन का थान ग्राम पंचायत लोलों की बेरी तहसील धोरीमन्ना के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तकरण पर जारी आदेश में फैसलकर्ता अधिकारी द्वारा निर्णय के तथ्यों/आधारों के बारे में कोई उल्लेख/जिक्र नहीं किया है। *इस प्रकार इस प्रक्रिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई है।*
The Revenue Officer must write with his own hand in the counter foil a brief abstract of the operative part of the order.	नामांतकरण संख्या 341 दिनांक 22.12.2020 मौजा हिरकन का थान ग्राम पंचायत लोलों की बेरी तहसील धोरीमन्ना के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तकरण की पुष्ट पर जारी आदेश में फैसलकर्ता अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश के ऑपरेटिव भाग के संक्षिप्त विवरण के बारे में कोई उल्लेख/जिक्र नहीं किया है। *इस प्रकार इस प्रक्रिया की ग्राम पंचायत द्वारा पालना नहीं की गई है।*

31. इस प्रकार प्रकरण में नामांतकरण संख्या 341 दिनांक 22.12.2020 मौजा हिरकन का थान ग्राम पंचायत लोलों की बेरी तहसील धोरीमन्ना के उक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि नामांतकरण संख्या 341 दिनांक 22.12.2020 मौजा हिरकन का थान ग्राम पंचायत लोलों की बेरी तहसील धोरीमन्ना को फैसल करते समय ग्राम पंचायत लोलों की बेरी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम–1957 के नियम–121 के उपनियम–04 तथा 05 के अनुसार विहित प्रक्रिया का अक्षरशः अनुसरण नहीं करते हुए प्रक्रिया का उल्लघंन किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:08:23 IST
Reason: SelfAttested

32. इस प्रकार प्रकरण में नामांतकरण संख्या 341 दिनांक 22.12.2020 मौजा हिरकन का थान ग्राम पंचायत लोलों की बेरी तहसील धोरीमन्ना को फैसल कर ग्राम पंचायत लोलो की बेरी द्वारा बबरी बेवा भींया की शेष संपत्ति में प्रत्यर्थी संख्या 02 लगायत 05 का 1/3 हिस्सा, प्रत्यर्थी संख्या 06 का 1/3 हिस्सा तथा अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 07 लगायत 12 का 1/3 हिस्सा दर्ज करना कानूनन उचित था। अतः ग्राम पंचायत व राजस्व कार्मिकों नामांतकरण संख्या 341 दिनांक 22.12.2020 दर्ज करते व फैसल करते समय उक्त विधिक प्रावधानों के तहत ही बबरी बेवा भींया का नामांतकरण दर्ज करना चाहिए था। परन्तु ग्राम पंचायत व राजस्व कार्मिकों नामांतकरण संख्या 341 दिनांक 22.12.2020 दर्ज करते व फैसल करते समय उक्त विधिक प्रावधानों के विपरीत बबरी बेवा भींया का नामांतकरण दर्ज केवल प्रत्यर्थी संख्या 02 लगायत 05 के हक में फैसल करना कानूनन अनुचित है। इस प्रकार ग्राम पंचायत व राजस्व कार्मिकों नामांतकरण संख्या 341 दिनांक 22.12.2020 विधिक प्रावधानों के विपरीत दर्ज किया गया है। इसी प्रकार नामांतकरण संख्या 341 दिनांक 22.12.2020 मौजा हिरकन का थान ग्राम पंचायत लोलों की बेरी तहसील धोरीमन्ना को फैसल करते समय ग्राम पंचायत लोलों की बेरी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व (भू—अभिलेख) नियम—1957 के नियम—121 के उपनियम—04 तथा 05 के अनुसार विहित प्रक्रिया का अक्षरशः अनुसरण नहीं करते हुए प्रक्रिया का उल्लघंन किया गया है।

33. इस प्रकार नामांतकरण संख्या 341 दिनांक 22.12.2020 मौजा हिरकन का थान ग्राम पंचायत लोलों की बेरी तहसील धोरीमन्ना की दिनांक—22.12.2020 की कार्यवाही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के प्रावधानों के विपरीत तथा राजस्थान भू—राजस्व (भू—अभिलेख) नियम—1957 के नियम—121 के उपनियम—04 तथा 05 के अनुसार विहित प्रक्रिया का अक्षरशः अनुसरण नहीं करते हुए प्रक्रिया का उल्लंघन कर विधि विरूद्ध स्वीकृत किये जाने के कारण निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः नामांतकरण संख्या 341 दिनांक 22.12.2020 मौजा हिरकन का थान ग्राम पंचायत लोलों की बेरी तहसील धोरीमन्ना की दिनांक—22.12.2020 की कार्यवाही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के प्रावधानों के विपरीत तथा राजस्थान भू—राजस्व (भू—अभिलेख) नियम—1957 के नियम—121 के उपनियम—04 तथा 05 के अनुसार विहित प्रक्रिया का अक्षरशः अनुसरण नहीं करते हुए प्रक्रिया का उल्लंघन कर स्वीकृत किये जाने के कारण अपीलार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

अपीलार्थी की अपील बाबत् नामांतकरण संख्या 341 दिनांक 22.12.2020 मौजा हिरकन का थान ग्राम पंचायत लोलों की बेरी तहसील धोरीमन्ना की दिनांक—22.12.2020 की कार्यवाही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम—1956 के प्रावधानों के विपरीत तथा राजस्थान भू—राजस्व (भू—अभिलेख) नियम—1957 के नियम—121 के उपनियम—04 तथा 05 के अनुसार विहित प्रक्रिया का अक्षरशः अनुसरण नहीं करते हुए प्रक्रिया का उल्लघंन कर विधि विरूद्ध स्वीकृत किये जाने के कारण अपील स्वीकार की जाती है तथा नामांतकरण संख्या 341 दिनांक 22.12.2020 मौजा हिरकन का थान ग्राम पंचायत लोलों की बेरी तहसील धोरीमन्ना की दिनांक—22.12.2020 की

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:08:23 IST
Reason: SelfAttested

कार्यवाही को निरस्त किया जाकर पत्रावली तहसीलदार धोरीमन्ना को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि उक्त आराजी का नामांतरकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के अनुसार बबरी बेवा भींया की शेष संपत्ति में प्रत्यर्थी संख्या 02 लगायत 05 का 1/3 हिस्सा, प्रत्यर्थी संख्या 06 का 1/3 हिस्सा तथा अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 07 लगायत 12 का 1/3 हिस्सा मानते हुए राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम–1957 के नियम–121 के उपनियम–04 तथा 05 के अनुसार विहित प्रक्रिया का अक्षरशः अनुसरण करते हुए दर्ज करें।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 07.01.2025 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.09 20:08:23 IST
Reason: SelfAttested